

**निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम भवन पर ध्वजारोहण किया
निगम के कार्यपालन यंत्री व उपयंत्री हुए सम्मानित**

रतलाम 27 जनवरी । 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने प्रातः 07:30 बजे निगम भवन पर ध्वजारोहण किया।

ध्वजारोहण पश्चात निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम के अधिकारी एवं कर्मचारियों को 73 वें गणतंत्र दिवस की शुभाकामना देकर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में रतलाम को नम्बर 1 बनाने हेतु सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों से एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान करते हुए कहा कि नगर निगम कम्प्यूटराईज, वॉकी टॉकी, जीपीएस तथा अन्य आधुनिक संसाधनों से लैस होकर रतलाम नगर को तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि शहर समृद्ध होगा तो प्रदेश समृद्ध होगा, प्रदेश समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा।

पुलिस लाईन पर आयोजित मुख्य समारोह में प्रभारी मंत्री माननीय श्री ओ.पी. एस भदौरिया ने कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास को प्रधानमंत्री आवास योजना व उपयंत्री श्री बी.एल. चौधरी को पेयजल व्यवस्था में उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रशस्ती पत्र व शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया।

इस अवसर पर उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, श्री मोहम्मद हनीफ शेख, स्वास्थ्य अधिकारी श्री जी.के. जायसवाल, सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी, लेखाधिकारी श्री विजय बालोद्गा, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, कार्यालय अधीक्षक श्री रामचन्द्र शर्मा सहित निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

नगर निगम के विभिन्न करों से 7.59 लाख हुआ राजस्व प्राप्त

रतलाम 27 जनवरी । संपत्तिकर, जलकर, लायसेंस, राजस्व, विकास शाखा, बिल्डिंग परमिशन के तहत नागरिकों द्वारा जमा कराये गये करों के तहत 25 जनवरी मंगलवार को कुल राशि रुपये 15,53,697/- का राजस्व प्राप्त हुआ।

नगर निगम के विभिन्न करों के तहत 25 जनवरी मंगलवार को संपत्तिकर शिविर से 159241, कार्यालय 164280 कुल 323521, जलकर शिविर 28140, कार्यालय 33240, वसूली दल 77160 कुल 138540, विकास शाखा 400, दुकान-गुमटी किराया 55380, कम्पाउंडिंग 237621, गंदगी करने व बगैर मास्क वालों पर स्पॉट फाईन 3600 इस तरह कुल राशि रुपये 7,59,062/- का राजस्व निगम को प्राप्त हुआ।

रात्रिकालीन सफाई कार्य के अनुपस्थित 4

सफाई मित्रों का 7 दिवस का वेतन काटा

**सेवा से बर्खास्त किये जाने का जारी किया कारण बताओ सूचना-पत्र
तीन दिवस तक बिना सूचना के अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारी होंगे बर्खास्त**

रतलाम 27 दिसम्बर । शहर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु नगर की 4 व 2 लेन सड़क, मुख्य सड़के, व्यावसायिक क्षेत्र, प्रमुख चौराहे, उद्यान आदि की रात्रीकालिन सफाई हेतु नियुक्त 100 सफाई मित्रों में से 4 सफाई मित्रों द्वारा 26 जनवरी बुधवार को बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार 7 दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था के तहत 26 जनवरी बुधवार को विशाल-कैलाश, महेश-मिट्ठू, संतोष-प्रभु व गौरव-राजेन्द्र द्वारा बिना सूचना के बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने पर 7 दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। बिना सूचना के लगातार तीन दिवस अनुपस्थित रहने वाले सफाई मित्रों को सेवा से बर्खास्त किया जायेगा।

3 कचरा संग्रहण वाहन चालकों का 7 दिवस का वेतन काटा

रतलाम 27 दिसम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा वार्ड क्रमांक 8 की सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान राधाकृष्ण मंदिर व टैंकर रोड क्षेत्र के रहवासियों द्वारा कचरा संग्रहण वाहन चालक द्वारा नियमित रूप से कचरा नहीं लिये जाने पर वाहन चालक जितेन्द्र जिन्दल का 7 दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। इसके अलावा कचरा संग्रहण वाहन चालक नितिन-उंटवाल व प्रवीण-किशोर द्वारा बिना सूचना के कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने पर 7 दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

**खुले में गंदगी करने पर 3 व्यक्तियों पर जुर्माना
मास्क नहीं लगाने पर 10 व्यक्तियों पर जुर्माना
नागरिक अनिवार्य रूप से मास्क लगायें
गंदगी करने वालों की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें**

रतलाम 27 जनवरी । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर अतिक्रमण करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 27 जनवरी को 3 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार खुले में गंदगी करने पर प्रकाश गुलमोहर कॉलोनी पर 3000, कस्तुरबा नगर में मधुकान्त पर 2000 व हितेन्द्र पर 1000 रुपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी।

इसके अलावा नगर विभिन्न क्षेत्रों में बिना मास्क वाले 10 व्यक्तियों पर 100-100 रुपये का स्पॉट फाईन पर मास्क अनिवार्य रूप से लगाने की समझाईश दी गई।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि शहर को गंदा करने वाले नागरिकों, दुकानदारों आदि की जानकारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह मो. नं. 7471144930, झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़े मो. नं. 7471144931, श्री किरण चौहान मो.नं. 7471144932, श्री विनय चौहान मो.नं. 8770535145, श्री विराट मेहरा 9770326691, स्पॉट फाईन दल के पवन झांझोट मो.नं. 7000128812, आकाश शिन्दे मो.नं. 9424075393, 7724981736 मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110, राकेश ललावत मो.नं. 7000128812 को देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

लक्कड़पीठा में आज लगेगा निगम का बकाया वसूली शिविर

नगर निगम द्वारा वार्ड वार बकाया वसूली शिविरो का आयोजन

नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए संपत्तिकर 55.86 लाख व जलकर 11.86 लाख की बकाया राशि जमा कराई

रतलाम 27 जनवरी । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधित करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली शिविर आयोजित किये गये हैं जो 03 मार्च 2022 तक चलेंगे।

आयोजित शिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरण, जलकर, दुकान, गुमटी किराया, लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की किश्त तथा भू-भाटक की बकाया राशि जमा करा सकेंगे।

निगम द्वारा आयोजित शिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर शिविर में संपत्तिकर 3,28,822/- व जलकर 54,850/-, मालवा नगर लक्ष्मणपुरा शिविर में संपत्तिकर 1,62,575/- व जलकर 34,520/-, जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास शिविर में संपत्तिकर 3,02,013/- व जलकर 63,450/-, विनोबा नगर शिविर में संपत्तिकर 1,85,292/- व जलकर 1,19,720/-, अलकापुरी कम्युनिटी हॉल शिविर में संपत्तिकर 3,20,857/- व जलकर 62,950/-, तिरुपति नगर शिविर में संपत्तिकर 1,28,977/- व जलकर 28,870/-, कोमल नगर शिविर में संपत्तिकर 2,16,000/- व जलकर 14,000/-, इन्द्रलोक नगर मार्निंग स्टार स्कूल के पास शिविर में संपत्तिकर 2,51,600/- व जलकर 1,04,640/-, कस्तुरबा नगर शिविर में संपत्तिकर 8,61,206/- व जलकर 1,21,090/-, प्रियदर्शनी नगर शिविर में संपत्तिकर 2,14,000/- व जलकर 47,000/-, डोंगरे नगर शिविर में संपत्तिकर 2,54,422/- व जलकर 83,700/-, हाट रोड शिविर में संपत्तिकर 1,71,500/- व जलकर 27,540/-, कलीमी कालोनी शिविर में संपत्तिकर 1,96,281/- व जलकर 40,240/-, राजेन्द्र नगर शिविर में संपत्तिकर 1,45,000/- व जलकर 31,760/-, काटजू नगर शिविर में संपत्तिकर 3,36,077/- व जलकर 72,440/-, वेदव्यास कालोनी शिविर में संपत्तिकर 98,534/- व जलकर 37,465/-, कल्याण नगर शिविर में संपत्तिकर 87,732/- व जलकर 36,660/-, दीनदयाल नगर शिविर में संपत्तिकर 2,91,455/- व जलकर 92,125/-, बोहरा बाखल शिविर में संपत्तिकर 4,97,298/- व जलकर 64,770/-, रामगढ़ शिविर में संपत्तिकर 1,59,241/- व जलकर 28,140/- की राशि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली शिविरो के वार्ड क्रमांक 21 व 45 के लिये 28, 29 व 31 जनवरी को लक्कड़पीठा प्याऊ के पास, वार्ड क्रमांक 48 व 49 के लिये 1 से 3 फरवरी तक आर्य समाज मंदिर धानमण्डी, वार्ड क्रमांक 40 व 41 के लिये 4 से 5 फरवरी तक जूनी कोर्ट किरण टॉकिज, वार्ड क्रमांक 28, 29, 36, 37 व 38 के लिये 7 से 8 फरवरी तक लॉ कॉलेज आनंद कालोनी, वार्ड क्रमांक 28 के लिये 9 फरवरी को प्रताप नगर उद्यान के पास, वार्ड क्रमांक 22 के लिये 10 फरवरी को महावीर नगर, वार्ड क्रमांक 39, 40 व 41 के लिये 11 से 12 फरवरी तक पैलेस रोड तिराहा, वार्ड क्रमांक 25, 26 व 27 के लिये 14 फरवरी को चौगानिया भेरू, वार्ड क्रमांक 24, 25 व

42 के लिये 15 व 16 फरवरी को शिक्षा विभाग सायर चबुतरा, वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 17 व 19 फरवरी तक चौमुखीपुल प्याऊ के पास, वार्ड क्रमांक 41 के लिये 21 से 22 फरवरी तक बजाजखाना गणेश देवरी, वार्ड क्रमांक 33, 34 व 35 के लिये 23 व 24 फरवरी को शास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पास, वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 25, 26 व 28 फरवरी को दो बल्ली चौराहा, वार्ड क्रमांक 30, 31, 32 व 34 के लिये 1 से 3 मार्च तक स्टेशन रोड दिलबहार चौराहे पर कार्यालयीन समय में शिविर आयोजित किये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त शिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये है इन आयोजित शिविरों में बकायादार अपनी बकाया राशि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

श्वान पालकों को अपने श्वान कराना होगा रजिस्ट्रेशन 2 से अधिक श्वान का पालन नहीं कर सकेंगे

रतलाम 27 जनवरी । नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 को धारा 355 व 356 के तहत नगरीय क्षेत्र रतलाम में निवासरत् ऐसे नागरिक जो कि अपने घरों में श्वान पालते हैं उन्हें अब अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत श्वान पालकों द्वारा अपने श्वान को गले में बिना पट्टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना आवारा श्वान की भांति छोड़ दिया जा ह तथा आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित होता है ऐसे श्वानों एवं श्वान मालिकों के लिये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत अनिवार्य किया गया है।

श्वान पालक को नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस शाखा में प्रति श्वान पंजीयन शुल्क रुपये 1000/- एवं लायसेंस शुल्क रुपये 500/- प्रति श्वान तथा लायसेंस नवीनीकरण हेतु प्रतिवर्ष 100/- रुपये जमा कराना होगा। श्वान पालकों को अधिकतम् 2 श्वान पालने की अनुमति प्रदान की जावेगी।

नगर निगम द्वारा श्वान पालकों से अपील की जाती है कि वे अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत लायसेंस शाखा में अनिवार्य रूप से करावें तथा अपने श्वान के गले में पट्टा डालकर रखें व अन्य पहचान चिन्ह लगावें।

8570 पेंशन हितग्राहियों का हुआ भौतिक सत्यापन पेंशन पाने वाले हितग्राही अपना भौतिक सत्यापन करवायें

रतलाम 25 जनवरी । रतलाम शहर के सामाजिक सुरक्षा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन, राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन, सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, निःशक्त पेंशन, मानसिक बहुविकलांग पेंशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का शासन निर्देशानुसार भौतिक सत्यापन किया जा रहा है जिसके तहत 27 जनवरी गुरुवार तक 8570 पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कर 85.70 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

दो दिनों में 1.51 मिट्रिक टन से अधिक कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 27 जनवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया जा रहा है जिसके तहत 26 व 27 जनवरी को 1.51 मिट्रिक टन से अधिक कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया गया।

26 व 27 जनवरी को डम्पर से 50935, ट्रेक्टर से 33760, काम्पेक्टर सूखा कचरा 30155 व काम्पेक्टर गीला कचरा 36750 इस तरह कुल 151800 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पंहुचाया गया।

2751 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए स्वरोजगार ऋण से 104 हितग्राही हुए लाभान्वित पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 27 जनवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होंने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हें संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के ज्ञोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु 2560 हितग्राहियों को राशि रुपये 10,000/- तथा द्वितीय कार्यशील पूंजी हेतु 191 हितग्राहियों को राशि रुपये 20,000/- ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 101 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 3 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही 15 हजार रुपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि होगी वसूल

रतलाम 27 जनवरी । शहर की मुख्य सड़के सैलाना रोड, सागोद रोड, महू रोड, स्टेशन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हें तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रुपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देशित किया है शहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रुपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 27 जनवरी । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं हों। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 27 जनवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनों पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 27 जनवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डों की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के

सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितां को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/27.01.2022/न.पा.निगम, रतलाम.